बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्र संख्या 1401 पटना, दिनांक 02.05.2016
प्रेषक,
प्रधान सचिव,
ऊर्जा विभाग।

सेवा में,
सभी जिला पदाधिकारी,
बिहार

विषय :– **मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना** के अंतर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों की (Rural Household) के सर्वेक्षण के संबंध में।

महाशय,

राज्य सरकार के सात निश्चयों में से एक निश्चय के तहत बिहार के ग्रामीण क्षेत्र के प्रत्येक घरों (Rural Household) को विद्युत सम्बन्ध उपलब्ध कराया जाना है। उक्त निश्चय के कार्यान्वयन हेतु **मुख्यमंत्री विद्युत संबंध निश्चय योजना** के अन्तर्गत राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के सभी घरों (Rural Household) का शत् प्रतिशत सर्वेक्षण किया जाना है। इस संबंध में निम्नांकित निर्णय लिया गया है:–

1. सभी जिला पदाधिकारी पूरे सर्वेक्षण कार्यक्रम के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे एवं पूरे कार्यक्रम का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।
2. जिला स्तर पर **विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (आपूर्ति)** को सर्वेक्षण कार्यक्रम के पर्यवेक्षण हेतु **नोडल पदाधिकारी** के रूप में कार्य करेंगें।
3. अनुमण्डल स्तर पर **सहायक विद्युत अभियन्ता (आपूर्ति)** सहायक नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगें।
4. प्रखंड स्तर पर **कनीय विद्युत अभियंता (आपूर्ति), कनीय नोडल पदाधिकारी** के रूप में कार्य करेंगे।
5. जिला स्तर पर **जिला समन्वयक** के रूप में **उप विकास आयुक्त** कार्य करेंगें।
6. अनुमंडल स्तर पर **अनुमंडल पदाधिकारी** सर्वेक्षण कार्यो को **सहायक समन्वय** के रूप में कार्य करेगें।
7. जिला के IT Manager सर्वेक्षण कार्य में नोडल पदाधिकारी/जिला समन्यवक को पूर्ण सहयोग करेंगें।

 उक्त के आलोक में जिला पदाधिकारी के द्वारा नोडल पदाधिकारी /सहायक नोडल पदाधिकारी/ कनीय नोडल पदाधिकारी/ जिला समन्वयक/सहायक जिला समन्वयक का उनके नाम/पदनाम /मोबाईल नं0 की सूचना संबंधित वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक / सभी अनुमंडल पदाधिकारी /सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/सभी अंचल अधिकारी/सभी विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता (आपूर्ति) एवं राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराया जाएगा।

8. विद्युत अधीक्षण अभियन्ता अपने अंचल के अधीन चल रहे सर्वेक्षण कार्यों का सतत अनुश्रवण करेंगे तथा प्रत्येक 15 दिनों पर इसकी समीक्षा कर समीक्षात्मक प्रतिवेदन मुख्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
9. जिलान्तर्गत सभी ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घरों का सर्वेक्षण कार्य **'एंड्रायड ऐप'** में अंकित विहित प्रपत्र के आधार पर किया जायेगा। उक्त सर्वेक्षण हेतु सॉफ्टवेयर NIC से सम्पर्क कर DGM (IT) BSPHCL द्वारा GM(HR& Admin.) BSPHCL को **10 मई 2016** तक उपलब्ध कराया जाएगा। कम्पनी मुख्यालय स्तर पर सर्वेक्षण प्रविष्टियों को DGM (IT) BSPHCL के टीम के

द्वारा समेकित किया जाएगा। इस कार्य में विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (IT), डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं विद्युत कार्यपालक अभियन्ता (IT) डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड एवं उनके कोषांग के पदाधिकारियों द्वारा प्रविष्टियों के समेकन में DGM (IT) BSPHCL को पूर्ण सहयोग करेंगें। इस कार्य में मुख्य डाटा बेस एडमिनिस्ट्रेटर साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड की प्रतिनियुक्ति DGM (IT) BSPHCL के साथ होगी।

(क) समय सीमाः– ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत सभी घरों (Rural Household) का घर–घर (House to House) सर्वेक्षण कार्य **दिनांक 25.06.2016** से प्रारंभ होगा। सर्वेक्षण कार्य की समय सीमा अधिकतम तीन माह **(25 सितम्बर 2016)** की होगी।

(ख) सर्वेक्षण दलः– सर्वेक्षण कार्यक्रम के तहत पंचायत ईकाई स्तर पर घर–घर विद्युत् कनेक्शन देने हेतु सर्वेक्षण किया जायेगा। इसके लिए निम्नांकित दो कर्मियों द्वारा सर्वेक्षण कार्य किया जाएगाः–

(1) इन्दिरा आवास सहायक

(2) पंचायत रोजगार सेवक

1. **कनीय विद्युत अभियन्ता के द्वारा पंचायत स्तर पर सर्वेक्षण हेतु गठित टीम के सदस्यों के लिए वार्ड/टोला आवंटन करने का प्रस्ताव संबंधित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को अनुमोदन हेतु उपस्थापित किया जाएगा। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के द्वारा तीन दिनों के अन्दर प्रस्ताव के अनुमोदनोपरान्त सर्वेक्षकों के लिए वार्ड/टोला का आवंटन तथा तत्सम्बन्धी कार्यादेश निर्गत किया जाएगा।**
2. **कनीय विद्युत् अभियन्ता के देख–रेख में प्रखंड स्तर पर 'घर–घर सर्वेक्षण कार्य' सम्पन्न किया जाएगा। कनीय विद्युत अभियन्ता के द्वारा प्रखण्ड स्तर पर न्यूनतम 7 प्रतिशत सर्वेक्षित घरों की जॉच स्वयं की जाएगी। कार्य समाप्ति के उपरांत कनीय नोडल पदाधिकारी विहित प्रपत्र में हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र सहायक नोडल पदाधिकारी (सहायक विद्युत अभियन्ता) को भेजा जाएगा।**
3. प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा सर्वेक्षण के लिए कनीय विद्युत अभियन्ता के अतिरिक्त आवश्यकतानुसार अन्य पर्यवेक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाएगी। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के द्वारा प्रखण्ड स्तर पर संयुक्त रूप से न्यूनतम 15 प्रतिशत सर्वेक्षित घरों की जॉच की जाएगी। पर्यवेक्षण/निरीक्षण के क्रम में प्राप्त प्रविष्टियों को पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी अपने **"login"** से राज्य मुख्यालय भेजेंगें। पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों के द्वारा संकलित प्रविष्टियॉ अगर सर्वेक्षण दल से भिन्न पायी जाती है तो उक्त परिसिथिति में संबंधित टीम के द्वारा इसके सत्यापन के उपरान्त संबंधित **निदेशक (परियोजना)** नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/ **निदेशक (परियोजना)** साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के अनुमोदनोपरांत **DGM (IT) BSPHCL** के द्वारा प्रविष्टियों में सुधार किया जाएगा।
4. सर्वेक्षण के लिए 'एंड्रायड एप' में अंकित विहित प्रपत्र सर्वेक्षण टीम के सदस्यों को उपलब्ध कराया जायेगा, जिसमें सर्वेक्षण से संबंधित सारी प्रविष्टियाँ अंकित की जाएगी।
5. **उक्त प्रपत्र को संकलित कर जिला स्तर पर नोडल पदाधिकारी को प्रेषित किया जाएगा, जिसे नोडल पदाधिकारी राज्य मुख्यालय को उपलब्ध कराएगें।**

(ग) पर्यवेक्षण दल :–

1. प्रखंड स्तर पर प्रखंड विकास पदाधिकारी सर्वेक्षण दल के कार्यो का समन्वयन करेंगें।
2. अनुमण्डल स्तर पर सहायक नोडल पदाधिकारी संबंधित कनीय विद्युत अभियन्ता से सर्वेक्षण का पूर्णता एवं सत्यता का प्रमाण पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर नोडल पदाधिकारी को उपलब्ध कराएंगें। सहायक नोडल पदाधिकारी अनुमण्डल स्तर पर कम से कम 4 प्रतिशत घरों के सर्वेक्षण स्वयं जॉच करेंगें।

3. संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियंता भी सर्वेक्षित घरों का 2 प्रतिशत भौतिक सत्यापन स्वयं करना सुनिश्चित करेंगे।
4. पर्यवेक्षण पदाधिकारियों यथा विद्युत सहायक अभियंता एवं विद्युत कार्य पालक अभियंता के द्वारा पर्यवेक्षण/भौतिक सत्यापन के दौरान इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके अधीनस्थ विद्युत सहायक अभियंता/कनीय विद्युत अभियंता के द्वारा भौतिक सत्यापन किए गए घरों को छोड़कर उनके द्वारा अपने लिए निर्धारित कोटे का सत्यापन किया गया है। हालाँकि इन पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों को परिवाद प्राप्त होने पर अधीनस्थ कर्मियों/पदाधिकारियों के द्वारा किए गए सत्यापन की पुनः जाँच का अधिकार रहेगा।
5. सर्वेक्षण की समाप्ति के उपरान्त कनीय विद्युत अभियंता, विद्युत सहायक अभियंता एवं विद्युत कार्यपालक अभियंता के द्वारा विहित प्रपत्र **एनेक्चर–'A'** में प्रमाण पत्र समर्पित किया जायेगा।
6. सभी पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी अपने पर्यवेक्षक/जाँच/स्थानीय भ्रमण के दौरान इस बात का ध्यान रखेंगे कि किसी ग्राम/टोले में कोई घर सर्वेक्षण से छूट नही जाय।
7. प्रखंड स्तर/जिला स्तर/ विद्युत अधीक्षण अभियन्ता के स्तर पर पंजी संधारित की जाएगी, जिसमें प्रतिनियुक्त कर्मी का नाम/पदनाम/पर्यवेक्षक का नाम/ पदनाम एवं संबंधित आवंटित वार्ड अंकित रहेगा।
8. राज्य मुख्यालय स्तर पर महाप्रबंधक (मा0सं0/प्रशा0) / उप महाप्रबंधक (मा0सं0/ प्रशा0) /एवं एक मुख्य अभियन्ता /अधीक्षण अभियन्ता/ विशेष कार्य पदाधिकारी (मा0सं0/प्रशा0) कार्यपालक अभियन्ता की टीम तीन–तीन जिलों के सर्वेक्षण कार्यक्रम की मॉनिटरिंग हेतु गठित की जाएगी, जो सम्बन्धित जिलों में स्वयं जाकर प्रगति की समीक्षा करेंगी एवं सम्बन्धित जिला के जिला पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी के साथ समन्वय कर समस्याओं का निराकरण करेंगें, तथा अपने प्रतिवेदन को राज्य मुख्यालय स्तर पर गठित अनुश्रवण कोषांग को उपलब्ध कराएंगें।

(घ) त्रुटि सुधार – मुख्यालय स्तर पर DGM(IT) के नेतृत्व में त्रुटि सुधार दल पर्याप्त मात्रा में कार्यरत रहेगा। इस दल के प्रत्येक सदस्य को अधिक से अधिक 4 जिले आवंटित किए जायेंगे। इस दल का दायित्व होगा कि पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों से सत्यापन के क्रम में प्राप्त त्रुटि सुधार संबंधित प्रतिवेदनों के आधार पर त्रुटि सुधार करेंगे तथा Log entry कर अंकित करेंगे कि किस पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर सुधार किया गया है। साथ ही साथ त्रुटि सुधार प्रतिवेदनों के अनुपालन कर जिलावार फोल्डर में इसे संधारित करेंगे।

(च) प्रशिक्षण कार्यक्रम :–

1. सर्वेक्षण कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक जिला स्तर पर सहायक विद्युत् अभियन्ता (आपूर्ति)/सहायक विद्युत् अभियन्ता (राजस्व)/ विद्युत् कार्यपालक अभियन्ता को **'मास्टर ट्रेनर'** के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाएगा।
2. **मास्टर ट्रेनर** की राज्य स्तरीय प्रशिक्षण की तिथि **11 से 14 जून 2016** होगी।
3. **मास्टर ट्रेनर** के द्वारा सर्वेक्षण कार्य में प्रतिनियुक्त प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी /कर्मियों का प्रशिक्षण कार्य दिनांक **16 से 20 जून 2016** को प्रखंड मुख्यालय में प्रखंड विकास पदाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा।
4. **सभी प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम निदेशक (प्रशासन) के मार्गदर्शन में तैयार किये जाएंगें।**

(छ) अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण कोषांग :– राज्य मुख्यालय स्तर पर निदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में अनुश्रवण एवं प्रशिक्षण कोषांग का गठन किया जायेगा जिसमें निम्नांकित पदाधिकारी रहेंगें:–

1. **निदेशक प्रोजेक्ट,** नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।
2. **निदेशक प्रोजेक्ट,** साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड।

3. **महाप्रबन्धक (मा0सं0/प्रशा0),** बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड।
4. **उपमहाप्रबन्धक (आई0टी0),** बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड।

<u>दायित्वः–</u>

1. **सभी जिलों के सर्वेक्षण दल के कार्यों का अनुश्रवण करना।**
2. **सभी जिलों के गठित पर्यवेक्षण दल के साथ समन्वय कर उनसे प्रतिवेदन प्राप्त करना।**
3. **जिला पदाधिकारी/उप विकास आयुक्त/जिलों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/ अनुमण्डल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/नोडल पदाधिकारी/सहायक नोडल पदाधिकारी से समन्वय स्थापित करना।**
4. **यथाआवश्यकता जिलों में जाकर समस्याओं का निराकरण करना।**
5. **सर्वेक्षण दल से प्राप्त सर्वेक्षण प्रतिवेदन की दैनिक रूप से समीक्षा करना।**
6. **प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार करना तथा राज्य स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित करना।**

<u>उपरोक्त कार्यों के निष्पादन में सहायता हेतु निम्नांकित पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगें।</u>

1. प्रबन्ध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना।
2. प्रबन्ध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, पटना।
5. प्रबन्ध निदेशक के विशेष कार्य पदाधिकारी, बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कं0 लि0, पटना।

(ज) आकस्मिकता निधिः–

1. प्रत्येक इन्दिरा आवास सहायक/पंचायत रोजगार सेवक को सर्वेक्षण कार्य में भ्रमण हेतु ईंधन, डाटा संकलन इत्यादि कार्य के लिए निर्धारित दर पर राशि भुगतान किया जायेगा। प्रत्येक सदस्य को प्रतिदिन न्यूनतम 25 घरों का सर्वेक्षण करना अनिवार्य होगा।
2. **जिला वार सर्वेक्षण कार्य में आवंटित राशि विद्युत कार्यपालक अभियन्ता आपूर्ति (नोडल पदाधिकारी) के खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। कार्य समाप्ति के उपरांत नोडल पदाधिकारी व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं अव्यहृत राशि का बैंक ड्राफ्ट DGM (F&A), BSP(H)CL को उपलब्ध करायेंगे।**
3. **अपने–अपने जिलों के अन्तर्गत प्रखंड/अनुमंडल की जनसंख्या/आकार के अनुसार नोडल पदाधिकारी आवश्कतानुसार राशि उप आवंटित करेंगें।**

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार कंडिकावार सम्यकरूपेण कार्रवाई करते हुए समेकित प्रतिवेदन निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

कृपया निर्धारित समय सीमा का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

इस पर मुख्य सचिव, बिहार सरकार का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1401 / पटना , दिनांक 02.05.2016

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग /पंचायती राज विभाग/ बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1401 पु0/बिहार/अ0वि0मिशन-20/2011 पटना , दिनांक 02.05.2016

प्रतिलिपिः– अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बी0एस0पी0(एच0)सी0एल0/प्रबन्ध निदेशक, एस0बी0पी0डी0सी0एल0/ एन0बी0पी0डी0सी0एल0/बी0एस0पी0टी0सी0एल0/बी0एस0पी0जी0सी0एल0, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

2. प्रबंध निदेशक, एस0बी0पी0डी0सी0एल0 एवं प्रबंध निदेशक, एन0बी0पी0डी0सी0एल0 अपने स्तर से अपने विद्युत अधीक्षण अभियंता (आपूर्ति), विद्युत कार्यपालक अभियंता (आपूर्ति) एवं अन्य क्षेत्रीय पदाधिकारियों को प्रतिलिपि प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1401 पु0/बिहार/अ0वि0मिशन-20/2011 पटना , दिनांक 02.05.2016

प्रतिलिपिः माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव एवं माननीय मुख्यमंत्री के सचिव, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1401 पु0/बिहार/अ0वि0मिशन-20/2011 पटना , दिनांक 02.05.2016

प्रतिलिपिः मिशन निदेशक, बिहार विकास मिशन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1401 पु0/बिहार/अ0वि0मिशन-20/2011 पटना , दिनांक 02.05.2016

प्रतिलिपिः सभी प्रमंडलीय आयुक्त के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक 1401 पु0/बिहार/अ0वि0मिशन-20/2011 पटना , दिनांक 02.05.2016

प्रतिलिपिः मुख्य सचिव, बिहार के विशेष कार्य पदाधिकारी/प्रधान आप्त सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(प्रत्यय अमृत)
प्रधान सचिव

एनेक्चर 'A'

प्रमाणित किया जाता है कि ग्राम/टोला पंचायत प्रखंड जिला में विद्युत कनेक्शन की उपलब्धता के संबंध में सभी घरों का सर्वेक्षण पूर्ण कर लिया गया है तथा कोई भी घर सर्वेक्षण से छूटे नहीं है। इस ग्राम/टोला में कुल घर अवस्थित है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस ग्राम/टोला के 20 प्रतिशत घरों के सर्वेक्षण का भौतिक सत्यापन किया गया है।

दिनांक :–

(कनीय विद्युत अभियंता का हस्ताक्षर)

नाम –

पदनाम –

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस ग्राम/टोला में अवस्थित घरों के सर्वेक्षण का 15 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया गया है जो कनीय विद्युत अभियंता के भौतिक सत्यापन वाले घरों से अलग है।

दिनांक :–

(सहायक विद्युत अभियंता का हस्ताक्षर)

नाम –

पदनाम –

प्रमाणित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी के द्वारा इस ग्राम/टोला में अवस्थित घरों के सर्वेक्षण का 10 प्रतिशत भौतिक सत्यापन किया गया है जो कनीय विद्युत अभियंता एवं सहायक विद्युत अभियंता के भौतिक सत्यापन वाले घरों से अलग है।

दिनांक :–

(विद्युत कार्यपालक अभियंता का हस्ताक्षर)

नाम –

पदनाम –